छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2015

(फाल्गुन 13, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी का ध्यान आज की प्रश्नोत्तरी में 7 प्रश्नों के उत्तरों में यह अंकित है कि मंत्री महोदय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, कि ओर आकर्षित किया।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 14 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. व्यवस्था

प्रश्नकाल के पश्चात माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि भविष्य में माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि उत्तर हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उत्तर विधान सभा को प्राप्त हो।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज 04 मार्च, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे विधान सभा सचिवालय परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित है। अत: आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि उक्त होली मिलन समारोह में अवश्य सम्मिलित हों। समस्त अधिकारीगण एवं पत्रकारगण भी आमंत्रित हैं।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 28 जनवरी, 2015,
2. श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014,
3. श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, तथा
4. श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, सदस्य ने छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कार्पोरेशन द्वारा निर्माण हेतु जारी टेण्डर में अनियमितता बरती जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर की सफाई व्यवस्था ठीक न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 2 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 36, चंद्रपुर से निर्वाचित सदस्य श्री युद्धवीर सिंह जूदेव मार्च-अप्रैल, 2015 सत्र में दिनांक 2 मार्च, 2015 से 12 मार्च, 2015 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

9. वर्ष 2014-2015 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होन्ने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 16,19, 20, 26, 30, 32, 41, 44, 45, 46, 47, 55, 58, 64, 66, 67, 79, 80 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन सौ बयासी करोड़, नवासी लाख, चौरासी हजार, तीन सौ एक रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से भोजन अवकाश निरस्त कर सभा की कार्यवाही के निरंतरता में जारी रहने एवं सभा की कार्यवाही के पश्चात् होली मिलन समारोह होने की घोषणा की।)

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री अवधेश सिंह चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, लाभचंद बाफना, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, मोहन मरकाम, उमेश पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।
डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2015 (क्रमांक-1 सन् 2015)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2015 (क्रमांक-1 सन् 2015) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2015 (क्रमांक-1 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

अपराह्न 2.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2015 (फाल्गुन-18, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा